

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-जोधपुर / एक्स-20(11413) / 2025 / 54

दिनांक:- 31/1/2025

—: आदेश :-

श्रीमती सरोज राव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र धायलो की ढाणी ब्लॉक मण्डोर (जोधपुर) जिनकी जन्म तिथि 01.03.1971 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2025 को राज्य सेवा से एतद् द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है:-

कार्मिका के दिनांक 01.02.2025 अकार्य दिवस होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 31/1/2025

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-जोधपुर / एक्स-20(11413) / 2025 / 54
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डोर (जोधपुर)
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश / निजी पत्रावली।

E- File/Order 2024

rajKaj Ref No.: 12906972

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :31-01-2025 12:45:43